



**Neutral Citation No. – 2026:AHC:175503**

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 29301 वर्ष 2026**

फैयाज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

---

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| आवेदक के अधिवक्ता      | : इम्तियाज अली, मोहम्मद रिजवान अहमद |
| प्रतिपक्षी के अधिवक्ता | : जी.ए.                             |

---

**न्यायालय संख्या – 66**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इम्तियाज अली, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 314 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 एवं 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4, थाना हंडिया, जिला प्रयागराज में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का देवर है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का देवर होने के कारण झूठा

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उसने मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 23.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता (देवर) को दृष्टिगत रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन**, प्रकाशित है, **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अधिदेश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, प्रकाशित है, **2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** के मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



6. आवेदक-**फैयाज**, जो उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।
- iv. आवेदक निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण को बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

9. आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर, संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किए जाने पर, इस शपथ के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



11. आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजे।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि शीर्ष न्यायालय के पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सूओ मोटू रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में तथा पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति प्रयागराज जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल पर आवेदक को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को 24 घंटे के भीतर भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 अगस्त, 2026

एस.सी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”